



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7049

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 22998 वर्ष 2025

सलमान

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री अजय कुमार मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के होल्डिंग ब्रीफ श्री आशुतोष शुक्ला, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 587 वर्ष 2024, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कंकर खेड़ा, जिला मेरठ में, उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई प्रयोजन नहीं बताया गया है। तत्पश्चात् यह सामने आया है कि आवेदक की सूचक से शत्रुता थी। आवेदक दिनांक 01.10.2024 से कारागार में है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में एकमात्र नामित अभियुक्त व्यक्ति है, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में एकमात्र नामित अभियुक्त व्यक्ति है, मुझे यह प्रकरण आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने के योग्य नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोषहीन पाया जाता है और तदनुसार **अस्वीकार** किया जाता है।
7. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित उक्त प्रकरण को उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) SCC 220** तथा **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2017) 5 SCC 702** के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के दृष्टिगत, यदि कोई विधिक बाधा न हो, शीघ्रातिशीघ्र निर्णीत किया जाए।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ किए गए अवलोकन जमानत आवेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त अवलोकनों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

(रवि कान्त)